राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(6)गृह–1 / 2020 जयपुर, दिनांक 04.02.2021

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक **21.01.2021** की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सलेक्शन स्केल की** निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

वर्ष 2013–14 :–

राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2013–14 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.08.2013 के द्वारा श्री गोविन्द देथा, आरपीएस के विरूद्व विभागीय जांच नियम 16 सीसीए में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर की गई थी।

उक्त विभागीय जांच में श्री गोविन्द देथा, आरपीएस को आदेश दिनांक 10.04.2018 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप रिव्यू डीपीसी दिनांक 29.07.2018 द्वारा इनकी वर्ष 2013–14 में सलेक्शन स्केल में सील्ड कवर पदोन्नति अभिशंषा को निरस्त कर वर्ष 2014–15 में पदोन्नति प्रदान की गई।

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 19.08.2020 द्वारा श्री गोविन्द देथा, आरपीएस द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका दिनांक 19.11.2018 को स्वीकार करते हुए दण्डादेश दिनांक 10.04.2018 को अपास्त किया गया है। इस कारण श्री देथा को सलेक्शन स्केल में वर्ष 2014–15 के स्थान पर वर्ष 2013–14 में पदोन्नत किया जाता है। वर्ष 2013–14 की चयन सूची से सामान्य वर्ग के अन्तिम अधिकारी श्री कैलाश दान रत्नू का नाम विलोपित किया जाता है।

श्री देथा की वरिष्ठता श्री गोवर्धनलाल सोकरिया (एस.सी) के नाम के नीचें एवं श्री रतन सिंह (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित होगी।

वर्ष 2014–15:–

श्री कैलाश दान रत्नू का नाम वर्ष 2013–14 की चयन सूची से विलोपित किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2014–15 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री महेश मीणा (एस.टी.) के नाम के ऊपर निर्धारित होगी।

वर्ष 2017–18:–

श्री योगेन्द्र कुमार, आरपीएस को रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर सीनियर स्केल में वर्ष 2014–15 में किये गये चयन को निरस्त कर वर्ष 2013–14 में पदोन्नति दी जाकर, इनकी वरिष्ठता श्री मनोज चौधरी (सामान्य) के नीचे एवं सुश्री उमा शर्मा (सामान्य) के ऊपर निर्धारित किये जाने के परिणामस्वरूप सलेक्शन स्केल में पूर्व में चयन सूची क्रमांक 43 से नाम विलोपित कर श्री योगेन्द्र कुमार की वरिष्ठता सलेक्शन स्केल में चयन सूची क्रमांक 15 श्री मनोज चौधरी (सामान्य) के नीचे एवं चयन सूची क्रमांक 16 सुश्री उमा शर्मा (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2018–19:–

राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2018–19 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री मोहेश चौधरी, आरपीएस के विरूद्व 17 सीसीए की विभागीय जांच लम्बित होने के कारण इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई थी।

उक्त 17 सीसीए की विभागीय जांच में आदेश दिनांक 15.10.2019 के द्वारा श्री चौधरी को एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण श्री चौधरी की वर्ष 2018–19 में सलेक्शन स्केल में सील्ड कवर अभिशंषा को निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2019–20ः–

श्री मोहेश चौधरी को एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश के प्रभाव के कारण इनकी वर्ष 2018–19 में सलेक्शन स्केल में सील्ड कवर अभिशंषा को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप श्री चौधरी को वर्ष 2019–20 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री हरीराम चौधरी (सामान्य) के नीचे एवं श्री सुरेन्द्र सिंह सागर (एस.सी.) के ऊपर निर्धारित की जाती हैं।

राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2019–20 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री अनिल सिंह चौहान, आरपीएस का सेवाभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण इनके लिए पद सुरक्षित रखते हुए प्रकरण डेफर किया गया था। श्री चौहान के सेवाभिलेख पूर्ण होने पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी में विचार किया गया। श्री चौहान, आरपीएस के विरुद्व 17 सीसीए की विभागीय जांच में एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश दिनांक 22.06.2020 के प्रभाव के कारण वर्ष 2019–20 में सलेक्शन स्केल में डेफर किये गये प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

श्री अनिल सिंह चौहान से उपलब्ध रिक्ति के विरूद्व श्री धर्मवीर शर्मा/देवेन्द्र कुमार को रिक्ति दिनांक 01.07.2019 से पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री सहदेव सिंह (सामान्य) के नीचे एवं श्री राजेश मीणा (एस.टी.) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2020–21ः–

राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल में पदोन्नति हेतु गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति की अभिशंषा के आधार पर समसंख्यक पदोन्नति आदेश दिनांक 21.09.2021 में संशोधन करते हुये वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल में निम्नानुसार पदोन्नति दी जाती हैः–

क्रं. सं.	चयन सूची क्रमांक	नाम अधिकारी (सर्वश्री)	वर्ग	पात्रता सूची का क.सं.	रिक्ति दिनांक
1.	1	अनिल सिंह चौहान	सामान्य	03	01.04.2020
2.	2	माधुरी वर्मा	एस.सी. 01	05	01.04.2020
3.	3	किशन सिंह भाटी/मंगल सिंह	सामान्य	08	01.04.2020
4.	4	भवानी सिंह/मान सिंह	सामान्य	09	01.04.2020
5.	5	वीर सिंह/प्रभुदान सिंह	सामान्य	10	01.04.2020
6.	6	विनोद कुमार कालेर/रणधीर सिंह	सामान्य	11	01.04.2020
7.	7	गोपाल सिंह भाटी/सोहन सिंह	सामान्य	12	01.04.2020
8.	8	हिमांशु शर्मा	सामान्य	13	01.04.2020
9.	9	प्रेमदान	सामान्य	14	01.04.2020
10.	10	सिद्वान्त शर्मा	सामान्य	15	01.04.2020
11.	11	सुमित कुमार	सामान्य	16	01.04.2020
12.	12	सुनील कुमार पंवार	एस.सी. 02	17	01.04.2020
13.	13	सुनील कुमार	एस.सी. 03	18	01.04.2020
14.	15	राकेश कुमार बैरवा	एस.सी	20	01.04.2020 (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)
15.	16	किशोरी लाल	एस.सी.	21	01.04.2020 (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)
16.	17	जया	एस.सी.	22	01.04.2020 (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)
17.	18	सीमा भारती	एस.टी. 01	23	01.04.2020

18.	19	रामनिवास मीणा / सुरजाराम	एस.टी. 02	24	01.04.2020
19.	20	जगदीश प्रसाद यादव	सामान्य	25	01.04.2020
20.	21	नीरज पाठक	सामान्य	26	01.04.2020
21.	22	नरेन्द्र चौधरी	सामान्य	27	01.04.2020
22.	23	चंचल मिश्रा	सामान्य	28	01.05.2020
23.	24	शीला फोगावट	सामान्य	29	01.06.2020
24.	25	ब्रजराज सिंह चारण	सामान्य	30	01.08.2020
25.	26	देशराज	सामान्य	31	01.08.2020
26.	27	दिव्या मित्तल	सामान्य	32	01.08.2020
27.	28	दीप्ति जोशी	सामान्य	33	01.09.2020
28.	29	विमल सिंह	सामान्य	34	01.09.2020
29.	30	प्रीति चौधरी	सामान्य	35	01.10.2020
30.	31	प्रकाश चन्द	एस.सी.	36	01.11.2020 (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)
31.	32	सीमा कुमारी हिगोनिंया	एस.सी	37	01.01.2021 (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)
32.	34	श्री गिरीराज प्रसाद / कल्लाराम	एस.टी. 03	45	01.01.2021

अनुसूचित जाति के आरक्षण का अभ्यांश पूर्ण होने पर चयन सूची क्रमांक 15 श्री राकेश कुमार बैरवा (एससी), क्रमांक 16 श्री किशोरी लाल (एससी), क्रमांक 17 जया (एससी), क्रमांक 31 प्रकाश चन्द (एससी) एवं क्रमांक 32 सीमा कुमारी हिंगोनिया (एससी) की पदोन्नति सामान्य वर्ग के पदोन्नत अधिकारी से मूल पद की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य की रिक्तियों के विरूद्व प्रदान की गई है। उक्त अनुसूचित जाति के आधिक्य अभ्यांश को आगामी वर्ष की रिक्तियों में समायोजित किया जायेगा।

रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नत अधिकारियों को रिक्ति की दिनांक से कार्यग्रहण दिनांक तक नोशनल एवं कार्यग्रहण करने की दिनांक से वास्तवित रुप से वेतन का लाभ देय होगा।

यह पदोन्नति मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। नव पदोन्नत अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज0, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक।
5. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

04/02/2021
(गुरुप्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

D:\ JHALA2020\DPC 2020-21\Promotion Order